मुंबई पत्तन प्राधिकरण

27 मार्च 2023 को आयोजित बैठक संख्या 14 में बोर्ड के संकल्प.

अनु. क्र.	बी.आर. संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
1.	283	उच्च न्यायालय, ओओसीजे, रिट याचिका संख्या (एल) 33252 वर्ष 2022 मेक इंडिया इम्पेक्स, प्रोप्राईटर राजेश नाखवा का प्रोप्राईटरशिप कन्सर्न विरुध भारत संघ तथा 5 अन्य. मेक इंडिया इम्पेक्स का 21.11.2022 का अभ्यावेदन.	बोर्ड ने नोट के पैरा 17 (नोट # 24) में दिए गए यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	यातायात
2.	284	मुंपप्रा के मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल स्थित डयुटी फ्री शॉप को स्थापित करने हेतु लाईसेंस आधार पर क्षेत्र के आबंटन के लिए निविदा - निविदा संख्या टीएम/आईडी/05/2017	बोर्ड ने नोट के पैराओं 23 तथा 24 में दिए गए यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	यातायात
3.	285	6 मार्च 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के कार्यवृत की पुष्टि.	बोर्ड ने 6.3.2022 को आयोजित बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि प्रदान की.	सामान्य प्रशासन
4.	286	"ससून गोदी में बदबू को मिटाने के लिए विधि तंत्र का सुझाव देने हेतु तथा मत्स्य अपशिष्ट प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का सुझाव देने हेतु सलाहकार सेवाओं" के कार्य के लिए आईसिएआर- सीआईएफटी की नियुक्ति.	बोर्ड ने "ससून गोदी में बदबू को मिटाने के लिए विधि तंत्र का सुझाव देने हेतु तथा मत्स्य अपशिष्ट प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का सुझाव देने हेतु सलाहकार सेवाओं" के कार्य के लिए आईसिएआर- सीआईएफटी की नियुक्ति हेतु अध्यक्ष के अनुमोदन को बोर्ड के अनुसमर्थन के लिए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य अभियांत्रिकी

5.	287	मुंबई पत्तन प्राधिकरण आवासीय कालोनियों तथा कार्यालयों में एक वर्ष की अवधि तथा आगे एक वर्ष की विस्तारणीय अवधि के लिए मलेरिया प्रतिबंध उपायों हेतु संशोधित आक्कलन को मंजूरी.	बोर्ड ने मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया - (i) ₹1,34,89,107.50 राशि के अधिक मात्राएँ निष्पादन तथा अतिरिक्त मदें निष्पादन जो स्वीकृत प्राक्कलिन लागत का 82.87% है तथा (ii) अधिक मात्राएँ निष्पादन तथा अतिरिक्त मदें निष्पादनों सहित 2 वर्ष + 19 महीने 3 दिनों के लिए निष्पादित समूचे कार्य हेतु (% दर (-) संविदाकार द्वारा प्रस्तावित 10.11% + 18% जीएसटी का ध्यान रखते हुए) ₹2,25,92,700 राशि का संशोधित लागत प्राक्कलन सं. आरसीई-38/2022-23.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
6.	288	मुंपप्रा द्वारा लगाए गए ब्याज को माफ करने हेतु अनुरोध - पट्टा किराये पर (13 अधिभोग) तथा - पानी प्रभारों पर (कोड संख्या 20801509) मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लि. (एमडीएल)	बोर्ड ने निम्नलिखित माफी के लिए संपदा प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया : (i) नवंबर 2019 हेतु बिल के भुगतान में हुए विलंब के लिए ₹1,06,488.27 राशि का ब्याज; तथा (ii) पानी प्रभारों के भुगतान में हुए विलंब के कारण ₹73,114.74 राशि का ब्याज. (iii) इसे पूर्वोदाहरण न समझा जाए तथा यदि कोई जीएसटी लगाया है तो उसे मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लि. (एमडीएल) से वसूला जाए.	संपदा

7.	289	कोविड-19 महामारी की अपेक्षित तीसरी लहर हेतु बारह निवासी चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति.	बोर्ड ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव को निम्नानुसार कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया - (i) मुंपप्रा की वेबसाईट पर रिक्तियों के विज्ञापन द्वारा वॉकॅ -इन-साक्षात्कार पर छह महीने अथवा अस्पताल ग्राही को सुपुर्द किए जाने तक की अवधि के लिए कोविड कॉरिडोर/मुंपप्रा के अस्पताल की संस्थागत क्वारंटीन बिल्डिंगों में कार्य करने हेतु 12 निवासी चिकित्सा अधिकारियों की आपातिक नियुक्ति जिसके साथ उन्हे ₹75,000 प्रति माह का नियत पारिश्रमिक तथा ट्वीन शेअरिंग पीजी रेसिडेंट डाक्टर्स क्वाटर्स में मुफ्त आवास तथा अस्पताल डाएट किचन से निशुल्क भोजन प्रदान किया जाएगा. (ii) निवासी चिकित्सा अधिकारियों की योग्यता निर्धारित करना जिसमे कमसे कम अर्हता एमबीबीएस/आयुष डिसीयों के साथ यह शर्त होगी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी एमबीबीएस डाक्टरों की अनुपलब्धता के मामले में ही आयुष डाक्टरों को नियुक्त करना है. आयु मर्यादा निकष 45 वर्ष तथा उसमें सह व्याधि (को मार्बिड) की कोई शर्तें नही है. (iii) छह महीने अथवा अस्पताल ग्राही को सुपुर्द करने तक इस में से जो भी पहले हो उस अवधि के लिए ₹9 लाख प्रति माह का व्यय उठाना.	चिकित्सा

8.	290	निविदा संख्या ई-16/2017- विभिन्न खुले भंडारण यार्डों में मल-जल निकासी प्रणाली की मरम्मत/प्रतिस्थापना सहित डामर की सामग्री के साथ पुन: सतहीकरण - जीएसटी में छूट संबंधी.	बोर्ड ने निम्नलिखित के लिए वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया - (i) इससे पहले कटौति किए गए 10.8% के बजाय 9.23% की दर से जीएसटी छूट की कटौति पर विचार करना. (ii) 10.8% तथा बिलों में से कटौति किए गए 9.23% इसके बीच के फर्क की राशि को, अर्थात कल्याण टोल द्वारा उक्त राशि के लिए टैक्स इनवॉस के प्रस्तुतिकरण के बाद ₹74,63,802 (जीएसटी सम्मिलित) को लौटाना; तथा (iii) हमारे द्वारा रोककर रखी गई अवधारण धन राशि ₹46.54 लाख को मुक्त करना.	वित्त
9.	291	महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 का 3.1.2021 से प्रभावी प्रवर्तन - मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वरिष्ठा तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 में संशोधन.	विचार विमर्श आस्थगित.	सामान्य प्रशासन
10.	292	यातायात विभाग के ओबीएल/हमालेज अनुभाग में मिलान लिपिक तथा छाँटाई लिपिकों/मिलान लिपिकों के पद भरना - यातायात विभाग के ओबीएल अनुभाग से हमालेज अनुभाग में पदों का अंतरण.	विचार-विमर्श आस्थागित.	यातायात
11.	293	मुंपप्रा स्थित पोत सहायता कॉम्पलेक्स के विकास हेतु 13/14 इंदिरा गोदी स्थित जगह का भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) को आबंटन.	बोर्ड ने नोट के पैरा 25 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	यातायात

12.	294	सीएमसी बिल्डिंग, इंदिरा गोदी मुंबई स्थित सीफेरर रिजुवेनेशन सेंटर का विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण.	बोर्ड ने मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को निम्नानुसार कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया. (i) परियोजना के कार्यान्वयन के तरीके में पीपीपी मॉडेल के बदले लाईसेंस आधार पर इस प्रकार बदलाव करना. (ii) आमंत्रित बोलियों के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) तथा लाईसेंस करार.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
13.	295	संविदा आधार पर संपदा प्रभाग में प्रबंधक (विधि) को सेवा पर रखना.	बोर्ड ने संपदा प्रभाग के लिए 10 तथा विधि प्रभाग के लिए 2 इस प्रकार 12 प्रबंधक (विधि) को सेवा पर रखने के संपदा प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया. यह संविदात्मक नियुक्ति प्रारंभ में तीन वर्षो की अवधि के लिए तथा आगे और अधिक दो वर्षो के लिए विस्तारणीय होगी बशर्ते अनुलग्नक I में दी गई शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार मुंपप्रा का विवेकाधिकार होगा तथा सेवा के हर वर्ष की समाप्ति पर उम्मीदवार के वार्षिक निष्पादन का पुरीक्षण होगा.	संपदा
14.	296	दर मान, 2023-27 के संशोधन हेतु भूमि आबंटन/ दर मान समिति की सिफारिश.	संपदा प्रबंधक के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है - (i) अनुलग्नक XII के अनुसार 1.10.2022 से 30.9.2027 तक की अवधि के लिए (1.6.2023 से प्रभावी) दर मानों के संशोधन हेतु भूमि आबंटन समिति / दर मान समिति की सिफारिशें. (ii) पीजीएलएम 2015 दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार भूमि आबंटन समिति / दर मान समिति द्वारा अंगिकार किए गए तथा मूल्यांकक किए गए अनुसार अनुलग्नक VII में यथा संक्षेपित दरे. (iii) नोट के पैरा 18 तथा 19.	संपदा

15.	297	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन विनियम, 1965 के विनियम 8 (बी) के अंतर्गत श्री मनोजकुमार सिंह, सेवानिवृत शेड अधीक्षक, यातायात विभाग के विरिध्द अनुशासनिक कार्रवाई.	बोर्ड ने श्री मनोजकुमार सिंह, सेवानिवृत शेड अधीक्षक, यातायात विभाग के विरिध्द अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रारंभ करने के नोट के पैरा 10 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	यातायात
16.	298	मुंपोट्र पेंशन विनियम 1965 के विनियम 8 के अंतर्गत श्री. इक्बाल इस्माइल शेख, सेवा निवृत वरिष्ठ सुरक्षा रक्षक, बि.सं. 349, सामान्य प्रशासन विभाग, सुरक्षा प्रभाग, मुंपप्र के विरुध्द अनुशासनिक कार्रवाई.	बोर्ड ने दिवंगत श्री. इक्बाल इस्माइल शेख के विरुध्द अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त करने तथा सभी सेवानिवृत लाभों को मुक्त करने के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	सुरक्षा
17.	299	6 मार्च 2023 को आयोजित बोर्ड कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट.	बोर्ड ने 6 मार्च 2023 को आयोजित बोर्ड कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्टों को नोट किया.	सामान्य प्रशासन
18.	300	वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 हेतु आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति.	बोर्ड ने एससीएम असोसिएट्स सनदी लेखाकारों की नियुक्ति के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया.	वित्त

19.	301	अन्य संगठनों के जरिए सीएसआर निधियों के द्वारा उद्यानों, ग्रीन स्पेसेस, प्लांटेशन क्षेत्रों के विकास हेतु नीति.	बोर्ड ने मुख्या अभियंता के प्रस्ताव को निम्ननुसार अनुमोदन प्रदान किया - (i) नोट के पैरा 2 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों तथा निबंधनों के आधार पर, अन्य एजेंसियों के जरिए उनके सीएसआर निधीयन के तहत उद्यान, ग्रीन स्पेसेस तथा प्लांटेशन व समान उपयोगों के लिए भूमि का विकास. (ii) उद्यानों अथवा प्लांटेशनों के विकास हेतु एजेंसी का चयन रुचि की अभिव्यक्ति (इओआई) प्राप्त करने की प्रक्रिया के जरिए होगा तथा सीधे प्राप्त आवेदनों की जाँच भी उसी पध्दति से होगी जो नीति में यथा निर्धारित है और लाईसेंस की अवधि 2 वर्ष या अधिक होगी जो एजेंसी के प्रस्ताव पर निर्भर होगी. (iii) एजेंसी का चयन करने का तथा अन्य कोई उपयुक्त शर्तों को जोडने का अधिकार अध्यक्ष को है. (iv) सीएसआर निधीयन के जरिए उद्यान अथवा ग्रीन स्पेस के विकास हेतु उपयुक्त भूखंड/भूमि की पहचान करने का अधिकार भी अध्यक्ष को है. (v) चयनित एजेंसी जानकारी हेतु बोर्ड को सूचित की जाएगी.	
20.	302	इविलीन हाउस के प्रचालन तथा प्रबंधन हेतु निविदा.	बोर्ड ने वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण) के प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया - (i) इविलीन हाउस के प्रचालन तथा प्रबंधन हेतु निविदा के लिए गैर परामर्शी सेवाओं के लिए क्यूसीबीएस प्रणाली का पालन करना. (ii) एक तकनीकी समिति (टीसी) का गठन करना जो क्यूसीबीएस प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए गैर वित्तीय तथा तकनीकी प्राचलों के लिए महत्व भार गणना प्रणाली विज्ञान आदि को तय करेगी.	
21.	303	इवलिन हाउस, कुलाबा के प्रचालन तथा प्रबंधक हेतु संविदा का विस्तार मेसर्स रॉयल सोजर्न प्रा. लि.	बोर्ड ने नोट के पैरा 8 में दिए गए वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण) के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	कल्याण

22.	304	सीई.जेडी-5(पाइपलाइन तथा टर्मिनल कार्य)/2017 : जवाहर द्वीप स्थित पाँचवे तेल घाट के निर्माण हेतु ऑफशोअर/ऑनशोअर पाइपलाइन तथा टर्मिनल कार्य - सांवेदाकार द्वारा उठाए गए विवाद के लिए समाधान समिति रिपोर्ट को अनुमोदन.	बोर्ड ने नोट के पैरा 6 में यथा संक्षेपित, अनुलग्नक I में दिए अनुसार समाधान समिति की रिपोर्ट का स्वीकार करने के लिए मुख्य यांत्रिक अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	यांत्रिकी